राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3971/2024

धनपाल बामनिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बासंवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.12.2024
आदेश की दिनांक : 19.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 6.12.2024 के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत अपीलार्थी को शिक्षक ग्रेड III लेवल II संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घनेरा, ब्लॉक अरथूना, बांसवाड़ा से गलत तरीके से अधिशेष मानते हुए समायोजन के रूप में स्थानांतरित किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सतसेरा खुर्द, सज्जनगढ़ ब्लॉक, जिला बांसवाड़ा में स्थानांतरण नीति दिनांक 14.11.2024 और जीएडी द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 04.01.2023 और 03.01.2024 का उल्लंघन करते हुए, जिसके तहत स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण केवल सीएमओ की पूर्व अनुमति से किया जा सकता था, लेकिन आरोपित आदेश सीएमओ से अनुमति लिए बिना और किसी प्रक्रिया या नीति का पालन किए बिना और काउंसलिंग आयोजित किए बिना जारी किया गया है और रिक्त पद की स्थिति प्रकाशित नहीं की गई है। यह आदेश अधिकारियों की मर्जी से बिना सोचे–समझे और वरिष्ठता की स्थिति पर विचार किए बिना जारी किया गया है और जूनियर लोगों को उसी ब्लॉक में तैनात किया गया है और अपीलार्थी को दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि उसी ब्लॉक में पद खाली पड़े हैं। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल II संस्कृत के पद पर कार्यरत है, लेकिन उसे समायोजन के नाम

पर गलत तरीके से स्थानांतरित कर दिया गया है, तथा गलत तरीके से अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थी वर्तमान विद्यालय में शिक्षक ग्रेड III लेवल II संस्कृत के स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत है, लेकिन गलत तरीके से अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए अपीलार्थी को दिनांक 6.12.2024 के आदेश द्वारा दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी अधिशेष नहीं है, परन्तु उसे गलत तरीके से अधिशेष घोषित कर दिया गया है तथा दिनांक 14.11.2024 की नीति का उल्लंघन करते हुए दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि विभाग ने दिनांक 14.11.2024 को एक आदेश/नीति जारी की थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अधिशेष शिक्षकों के आमेलन के प्रयोजन के लिए, i) संबंधित शिक्षक को उसी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए, ii) संबंधित शिक्षक को उसी राजस्व गांव में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए, iii) यदि उसी राजस्व गांव में पद रिक्त नहीं है, तो अधिशेष शिक्षक को उसी ग्राम पंचायत में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए, iv) यदि उसी ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं है, तो अधिशेष शिक्षक को उसी ब्लॉक में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए तथा v) यदि उसी ब्लॉक में पद रिक्त नहीं है, तो उसे दूसरे ब्लॉक में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए, अधिमानतः दूसरे ब्लॉक में निकटवर्ती स्थान पर। (अनुलग्नक–2) आदेश 4.01.2023 और 3.01.2024 को जारी परिपत्रों के विरुद्ध जारी किया गया है क्योंकि आपत्तिजनक आदेश पारित करने से पहले सीएम कार्यालय से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए तथा सत्र के मध्य में भी अपीलार्थी की व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है कि वह एक महिला है तथा स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुए उसे दूर के स्थान पर तैनात किया गया है, जबकि आस–पास के क्षेत्रों में कई पद हैं, इसलिए उसे उसी विद्यालय या उसी ब्लॉक में तैनात किया जाना चाहिए, लेकिन अपीलार्थी को दूर के स्थान पर दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है, वह भी पद के विरुद्ध।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ शिक्षक ग्रेड III लेवल II संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चनेरा, ब्लॉक अरथूना, बांसवाड़ा के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि

वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी एक सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य